

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : सूनीवसिरी  
दूरभाष : 0091-751-2341896,  
2442801 (कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स  
0091-751-2341768  
E-mail :  
jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2010/2027-A

दिनांक: 15.07.10

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,  
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध  
समस्त अशासकीय महाविद्यालय।

विषय :- महाविद्यालयों का निरीक्षण नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05 मई, 2010 के पद क्रमांक 31(अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार जिन महाविद्यालयों दिनांक 30 अप्रैल, 2010 तक जिन महाविद्यालयों में निरीक्षण नहीं कराया गया है के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

1. जिन महाविद्यालयों ने 30 अप्रैल, 2010 तक (बी0एड0 को छोड़कर) सम्बद्धता हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण सत्र 2009-10 के लिये नहीं कराया है उन्हें अंतिम दिनांक 30 जून, 2010 तक का समय रुपये 25000/- अर्थदण्ड के साथ दिया जाता है अन्यथा सत्र 2010-11 के लिये महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. बी0एड0 पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि बी0एड0 महाविद्यालयों के निरीक्षण की अंतिम तिथि 30 जून, 2010 ही रहेगी इसके पश्चात् उनसे भी उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड लिया जावेगा। जब तक निरीक्षण नहीं होता है तब तक सत्र 2010-11 के बी0एड0 पाठ्यक्रम के सम्बद्धता पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें।

भवदीय  
3.1.3  
कुलसचिव